

PALWAL C.A
NOTIFICATION

102

सेक्शन 3522-2 टीबीसी-74/24936 राजपत्र अनुसूचित सड़के एवं नियमित क्षेत्र, अनियमित विस्तृत इतिवृत्त अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (T) द्वारा पदतल इतिवृत्त का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल सड़क निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट तथा इसके संगत नक्शे में इन्हें गुरु पतवत नगरपालिका के नाम प्राप्त के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियमित क्षेत्र घोषित करते हैं अर्थात्:-

अनुसूची

उत्तर:- गौरी मुख्य नाले की पूर्वी सीमा तथा गाँव धतीर और डडौला को मिलाने वाले राजस्व रास्ते की दक्षिणी सीमाओं को मिलाने वाले बिन्दु से लेकर गाँव डडौला जिसमें आबादी शामिल नहीं है। की ओर तथा उसके बाद गाँव डडौला तथा गाँव सैयदपुर सेडा को मिलाने वाले राजस्व रास्ते की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ उस मिलान बिन्दु तक नहीं गाँव अमरु तथा गाँव बघौटा को मिलाने वाले राजस्व रास्ते की दक्षिणी सीमा मिलती है तथा फिर गाँव अमरु को गाँव मोहनपुर को मिलाने वाले राजस्व रास्ते की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गाँव मोहनपुर तक जिसमें आबादी शामिल नहीं है। उसके बाद गाँव बघौटा तथा गाँव डडौला को मिलाने वाली सड़क के 1500 फुट की दूरी पर समानान्तर लाइन के साथ-साथ गाँव जटौला को गाँव मोहौला के साथ मिलाने वाली पक्की सड़क की दक्षिणी सीमा तक उसके बाद उक्त सड़क की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ तथा गाँव मोहौला जिसमें आबादी शामिल नहीं है। जो आगरा नगर की पश्चिमी सीमा से मिलती है।

पूर्व:- आगरा नगर की पश्चिमी सीमा के साथ गाँव मोहौला की आबादी देह की दक्षिणी सीमा से मिलने वाले बिन्दु से लेकर आगरा नगर की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर पतवत नाले की उत्तरी सीमा के मिलने के बिन्दु तक तथा फिर पतवत नाले की उत्तरी सीमा को सिलौठी सूजे की पश्चिमी सीमा को मिलाने के बिन्दु तक तथा उसके बाद सिलौठी सूजे की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बामनी सेडा से रेलवे जिसमें फॉर्मिंग तक की पक्की सड़क के भू-भाग के 1500 फुट समानान्तर लाइन से मिलने के बिन्दु तक।

दक्षिण:- सिलौठी सूजे की पश्चिमी सीमा व बामनी सेडा से रेलवे जिसमें फॉर्मिंग तक की पक्की सड़क के भू-भाग से 1500 फुट समानान्तर रेखा से मिलने के स्थान से आरम्भ होकर दिल्ली-मथुरा सड़क की पश्चिमी सीमा से 1500 फुट दूर उसी समानान्तर रेखा के साथ पश्चिम की ओर और उसके बाद दिल्ली-मथुरा सड़क के 1500 फुट समानान्तर रेखा के साथ उत्तर की ओर नहीं यह गाँव फूलवाडी की योजक सड़क की दक्षिणी सीमा के समानान्तर 1500 फुट चल रही लाइन से मिलती है तथा उसके बाद उक्त लाइन के साथ पश्चिम की ओर उस बिन्दु तक नहीं यह इथीन राजबट की पश्चिमी सीमा से मिलती है तथा उसके बाद इथीन राजबट की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर उस बिन्दु तक नहीं यह गाँव फूलवाडी तथा गाँव टिकरी ब्राह्मन को जोड़ने वाले राजस्व रास्ते की उत्तरी सीमा से मिलती है तथा उसके बाद रास्ते की उत्तरी सीमा के साथ गाँव टिकरी ब्राह्मन जिसमें आबादी शामिल नहीं है। तक तथा उसके बाद गाँव टिकरी ब्राह्मन से गाँव राजपुरा तक के राजस्व रास्ते की उत्तरी सीमा के साथ गाँव राजपुरा जिसमें आबादी शामिल नहीं है। तक तथा उसके बाद राजपुरा को पतवत-फिरोजपुर शिरका सड़क की पश्चिमी सीमा से जोड़ने वाले राजस्व रास्ते की उत्तरी सीमा के साथ-साथ तथा उसके बाद पतवत फिरोजपुर शिरका सड़क की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर उस बिन्दु तक नहीं पर योजक सड़क की दक्षिणी सीमा से गाँव अहरवार तक के 1500 फुट की दूरी पर समानान्तर रेखा से मिलती है तथा उसके बाद योजक सड़क की दक्षिणी सीमा के समानान्तर 1500 फुट पर चल रही उक्त लाइन के साथ पश्चिम की ओर गाँव फूलवाड तक नहीं यह गाँव इंगुरी पतवत तथा अहरवार को जोड़ने वाले राजस्व रास्ते की पूर्वी सीमा से मिलती है तथा उसके बाद उक्त रास्ते की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर उस बिन्दु तक नहीं यह गाँव अहरवार तथा गाँव घामका को जोड़ने वाले समस्त रास्ते की उत्तरी सीमा से मिलती है तथा उसके बाद उक्त रास्ते की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर उस बिन्दु तक नहीं यह गौरी मुख्य नाले की पूर्वी सीमा से मिलती है।

पश्चिम:- गाँव अहरवार तथा घामका को जोड़ने वाले राजस्व रास्ते की उत्तरी सीमा तथा गौरी मुख्य नाले की पूर्वी सीमा को मिलाने के बिन्दु से लेकर गौरी मुख्य नाले की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर उस बिन्दु तक नहीं यह गाँव धतीर तथा गाँव डडौला को जोड़ने वाले राजस्व रास्ते की दक्षिणी सीमा से मिलती है, अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

रघु वैजंजी,

सचिव, हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

नोट:- नक्का पेशी भी कार्य दिवस पर जिला नगर योजनाकार फोहराबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है।